संख्या-290 /2025/I/1116890 /2025/013-23-6099/39/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के 05 सेतु के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्र (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत कतिपय क्षेत्रों के 05 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 744.56 लाख (रूपये सात करोड चौवालिस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (सेतु) लखनऊ का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन		
							अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16694 /CE-SEB/RYB/ MIR/2025-26 Dt- 24-09-2025	नि.ख. सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में मुर्धवा-मयोरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग के किमी0-56 में पूर्व निर्मित ध्वस्त लघु सेतु के स्थान पर 13 सेल 4x4 मी0 आर0सी0सी0 बॉक्स लघु सेतु के निर्माण कार्य।	188/ 2024/ 1229/001 - 1229-23- 10-16- 2024- दिनांक-12-11-2024	400.43 400.43 22.09 378.34	320.34	45.70	12.30	58.00
2	तदैव	नि.ख. सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में मुर्धवा-मयोरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग के किमी0-64 में पूर्व निर्मित ध्वस्त लघु सेतु के स्थान पर 3 सेल 5x5 मी0 आर0सी0सी0 बॉक्स लघु सेतु के निर्माण कार्य।	188/2024/ 1229/001- 1229- 23-10-16- 2024 दिनांक-12-11-2024	224.84 224.84 13.97 210.87	179.87	24.42	6.58	31.00
3	तदैव	सेतु निगम सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में घोरावल-शिल्पी-कोडारी मार्ग पर कोलिया घाट पर सोन नदी पर सेतु	62/2025/ 449/ 23- 6- 2025 **Dt. 14.02.25**	7985.86 7985.86 NIL 7985.86	7453.00	408.75	110.03	518.78
4	17139 /CE-SEB/RYB /GON /2025-26 Dt- 06-10-2025	प्रा.ख. बहराइच	जनपद बहराइच में खरखट्टनपुरवा संपर्क मार्ग के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त रपटे एवं आर0सी0सी0 पुलिया के स्थान पर 2 नग 5x 4.00x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	69/2025/ 2186/23-6066/26 /2024- दिनांक 19-02-2025	254.18 254.18 0.28 253.90	177.93	49.86	13.42	63.28

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	तदैव	प्रा.ख. बहराइच	जनपद बहराइच में चौकसाहार सं0मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त डिप के स्थान पर 4x3.00x3.00 मी0स्पान का बाक्स कलवर्ट किमी0 3 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 5x4.00x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट, किमी0 4 में ही क्षतिग्रस्त हयूम पाइप पुलिया के स्थान पर 1x3.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एवं किमी0 5 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 3x.400x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	69/2025/ 2186/23-6066 /26/2024- दिनांक 19-02-2025	298.51 298.51 1.18 297.33	208.96	57.91	15.59	73.50
कुल योग							**586.64**	**157.92**	**744.56**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,86,64,000 (रुपये पाँच करोड़ छियासी लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,57,92,000 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) श्री राजेश प्रताप सिंह (संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।